

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

(26) सूरजगढ़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करती हूँ कि -

श्री सुभाष पूनिया पुत्र लोकराम पूनिया,
अनाज मंडी, वार्ड नं. 4, सूरजगढ़, झुंझुनू, राजस्थान 333029

भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान :- झुंझुनू

तारीख :- 11 दिसम्बर, 2018


(राधिका देवी)
रिटनिंग अधिकारी
वि. स. क्षेत्र सूरजगढ़ (026)
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (26) सूरजगढ़
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बुहाना)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of RAJASTHAN from (26) SURAJGARH Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHRI SUBHASH POONIA S/O LOKRAM POONIA (Name) ANAJ MANDI, WARD NO. 4, SURAJGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN 333029(Address)

sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place - Jhunjhunu

Date - 11, DECEMBER 2018


(RADHIKA DEVI)
Returning Officer
Assembly Constituency (26) Surajgarh
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional
Magistrate Buhana)